

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्, लखीसराय।

पटना, दिनांक- 13/2/15

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2014-15 में जल निकासी हेतु नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना अंतर्गत नगर परिषद् लखीसराय को नाला निर्माण मद में ₹ 35.502 (पैंतीस लाख पचास हजार दो सौ) मात्र की योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में जल निकासी हेतु नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना अंतर्गत नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् लखीसराय के पत्रांक- 200, दिनांक- 05.02.2015 द्वारा निम्न योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में आवंटित राशि में से अवशेष राशि से प्रदान करने का अनुरोध किया गया है :-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	5	6
1	नगर परिषद् लखीसराय	वार्ड नं०-17 में पचना रोड में अमरनाथ डिलर से सीताराम मिस्त्री के घर तक (उत्तर तरफ) तथा लड्डु पान दुकान से संसार पोखर (दक्षिण तरफ) तक नाला निर्माण।	35.502	35.502

2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

- (i) योजना का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक- 6208, दिनांक- 24.12.2008 द्वारा आवंटित राशि ₹ 26.769 लाख एवं पत्रांक- 1101, दिनांक- 30.03.2006 द्वारा आवंटित राशि ₹ 32.059 लाख में अवशेष राशि से कराया जायेगा। आवश्यकतानुरूप आंतरिक संसाधन से भी राशि का व्यय किया जा सकता है।
- (ii) स्वीकृत राशि से अधिक की योजना किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जायेगी।
- (iii) जिला पदाधिकारी लखीसराय द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।
- (iv) योजना का कार्यान्वयन प्राक्कलन के आधार पर निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।
- (v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

- (vi) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत दी गयी है।
- (vii) स्वीकृत राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन, -15

18/12/2015

सरकार के विशेष सचिव

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर परिषद्, लखीसराय।

पटना, दिनांक-

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2014-15 में जल निकासी हेतु नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना अंतर्गत नगर परिषद् लखीसराय को नाला निर्माण मद में ₹ 35.502 (पैंतीस लाख पचास हजार दो सौ) मात्र की योजना के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में जल निकासी हेतु नाला निर्माण, सीवरेज एवं अन्य सैनिटेशन योजना अंतर्गत नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् लखीसराय के पत्रांक- 200, दिनांक- 05.02.2015 द्वारा निम्न योजना की प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व में आवंटित राशि में से अवशेष राशि से प्रदान करने का अनुरोध किया गया है :-

(राशि लाख रु० में)

क्र०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	5	6
1	नगर परिषद् लखीसराय	वार्ड नं०-17 में पचना रोड में अमरनाथ डिलर से सीताराम मिस्त्री के घर तक (उत्तर तरफ) तथा लड्डु पान दुकान से संसार पोखर (दक्षिण तरफ) तक नाला निर्माण।	35.502	35.502

2. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी जाती है :-

- (i) योजना का कार्यान्वयन विभागीय पत्रांक- 6208, दिनांक- 24.12.2008 द्वारा आवंटित राशि ₹ 26.769 लाख एवं पत्रांक- 1101, दिनांक- 30.03.2006 द्वारा आवंटित राशि ₹ 32.059 लाख में अवशेष राशि से कराया जायेगा। आवश्यकतानुरूप आंतरिक संसाधन से भी राशि का व्यय किया जा सकता है।
- (ii) स्वीकृत राशि से अधिक की योजना किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जायेगी।
- (iii) जिला पदाधिकारी लखीसराय द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय समय पर किया जायेगा।
- (iv) योजना का कार्यान्वयन प्राक्कलन के आधार पर निविदा आमंत्रित कर कराया जायेगा।
- (v) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

- (vi) योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत दी गयी है।
- (vii) स्वीकृत राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/—

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-01/2014 776 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 13/2/15

**प्रतिलिपि:**— महालेखाकार, बिहार, पटना /संबंधित प्रमडलीय आयुक्त, /संबंधित जिला पदाधिकारी, /अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण कोषांग, नगर विकास एवं आवास विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित जिला शहरी विकास अभिकरण/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार पटना/विभागीय एम०आई०एस० सेल, इन्दिरा भवन, पटना को योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के अनुश्रवण हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2(बजट शाखा)/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

19.2.15